



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 08 माह का कारावास व 5000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0-490/2016 धारा-20/22 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त दशरथ राजपूत पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी औंता थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते 08 माह का कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी  
श्री प्रवीण कुमार  
भदौरिया



विवेचक-  
उ0नि0 अरविन्द  
कुमार मौर्या



पैरोकार  
थाना- राठ  
का0 प्रदीप भार्गव